

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S
उनवान

1. श्रीमती गुड्डु कुंवर पुत्री मोखमसिंह पत्नी गोवर्धनसिंह चुण्डावत निवासी चुण्डावतो का खेडा, किशन करेरी तह. डुंगला जिला चित्तौडगढ।
.....वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।
.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 56 / 24 (वाद) GCMS No. – 2024 / 109

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा आमली पटवार हल्का आमली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075-80 की खाता संख्या 140, 147, 149, 150 भूमि में वादीया का नाम गटुकुंवर पुत्री मोखमसिंह के बजाय गुड्डुकुंवर उर्फ गटुकुंवर पुत्री मोखमसिंह संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 24.12.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

